

## फर्द अहकाम

### न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

पक्षी : श्री घूला

बनाम

विपक्षी : श्री वरदा व अन्य

कसम मुकदमा - 128 भूराजस्व अधिनियम

पत्रावली संख्या : 35/25

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 15.09.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 10 की तामिल रिपोर्ट पर लेने से इनकार किया। अतः विपक्षी संख्या 10 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 14 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 14 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 15 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 15 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडीस में विपक्षीगण की भूमि है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से पक्षकारों में आये दिन सीमा विवाद उत्पन्न होता रहता है जिससे पत्थरगडी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया गया।

हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगडी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। पत्थरगडी किये जाने से प्रार्थी एवं विपक्षी की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन हो जायेगा तथा भविष्य में सीमा संबंधित विवाद नहीं रहेगा जिससे प्रकरण में पत्थरगडी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

#### -: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा रणिया पटवार हल्का धावडिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078-81 की खाता संख्या नया 52 की आराजी न. 727, 728, 738 कित्ता 3 रकबा 1.8500 है। भूमि की चारों दिशाओं सीमा की पत्थरगडी कर सीमांकन कराया जायें। पत्थरगडी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/- एक हजार रुपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगडी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। यदि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरगीम व रेकर्ड में कोई त्रुटि हो तो पत्थरगडी नहीं की जायें। उक्त पत्थरगडी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तो प्रार्थीगण कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगडी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फौस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेंगे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

